



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 20 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2523/9-1-2020-36 टी0ए0-2019

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-509

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत गभाना, जिला अलीगढ़ का गठन करने के लिये नीचे अनुसूची-1 में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या 2476/9-1-2019-36टी0ए0-19, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 1566/9-1-2020-36टी0ए0-19, दिनांक 8 दिसम्बर, 2020 द्वारा निस्तारण कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में दी गयीं हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत गभाना, जिला अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत गभाना, जिला अलीगढ़ का प्रादेशिक क्षेत्र

क्र०सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटाओं का विवरण
1	2	3	4
1	मौहरेना	पूरब	235, 236, 239, 240, 395, 398, 400, 401, 402, 403, 410, 411, 412, 425, 426, 469, 491, 493, 496 (कुल गाटा सं०-19)
		उत्तर	26, 9, 8, 6, 1, 3, 180, 182, 183, 234 (कुल गाटा सं०-10)
2	गभाना	पूरब	290, 317, 318, 377 (कुल गाटा सं०-04)
3	कन्होई	पूरब	47, 49, 50, 82, 83, 108, 204, 205 (कुल गाटा सं०-08)
		दक्षिण	193, 194, 195, 202, 206, 208 (कुल गाटा सं०-06)
4	सोमना	पश्चिम	77, 76, 75, 73, 10, 9, 2, 1, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 235, 236, 240, 241 (कुल गाटा सं०-18)
		दक्षिण	259, 281, 282, 283, 284, 293, 295, 296, 297, 299, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 355, 354, 353, 343, 109, 108 (कुल गाटा सं०-22)
5	पनिहावर	उत्तर	2, 1, 4, 8, 9, 10, 27, 46, 47, 48, 60, 61, 65, 63, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94 (कुल गाटा सं०-26)
6	रामपुर	दक्षिण	114, 115, 116, 118, 119, 124, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 151 (कुल गाटा सं०-14)

अनुसूची-2

नगर पंचायत गभाना, जिला अलीगढ़ में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

क्रम-संख्या	ग्रामों/राजस्व ग्रामों का नाम	सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र
1	गभाना	सम्पूर्ण क्षेत्र
2	नगला नत्था	सम्पूर्ण क्षेत्र
3	रामपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
4	कन्होई	सम्पूर्ण क्षेत्र
5	श्यामपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
6	पनिहावर	सम्पूर्ण क्षेत्र
7	सोमना (मजरा सहित)	सम्पूर्ण क्षेत्र
8	मौहरेना (मजरा सहित)	सम्पूर्ण क्षेत्र

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2523/IX-1-2020-36T.A.-2019, dated December 20, 2020:

No. 2523/IX-1-2020-36T.A.-2019

Dated Lucknow, December 20, 2020

WHEREAS notification no. 2476/IX-1-2019-36T.A.-2019, dated December 20, 2019 was issued and published in the *Gazette* with a view to inviting objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule-1 below as the transitional area for constituting Nagar Panchayat Gabhana in district Aligarh as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916);

AND, WHEREAS, objections and suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of *vide* Government order no. 1566/9-1-2020-36T.A.-19, dated December 8, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in nonagricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which is given in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Gabhana district Aligarh.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Gabhana, district Aligarh

Sl. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
1	Mohraina	East	235, 236, 239, 240, 395, 398, 400, 401, 402, 403, 410, 411, 412, 425, 426, 469, 491, 493, 496 (Total Gata-19)
		North	26, 9, 8, 6, 1, 3, 180, 182, 183, 234 (Total Gata-10)
2	Gabhana	East	290, 317, 318, 377 (Total Gata-04)
3	Kanhoi	East	47, 49, 50, 82, 83, 108, 204, 205 (Total Gata-08)
		South	193, 194, 195, 202, 206, 208 (Total Gata-06)
4	Somna	West	77, 76, 75, 73, 10, 9, 2, 1, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 235, 236, 240, 241 (Total Gata-18)
		South	259, 281, 282, 283, 284, 293, 295, 296, 297, 299, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 355, 354, 353, 343, 109, 108 (Total Gata-22)
5	Panihavar	North	2, 1, 4, 8, 9, 10, 27, 46, 47, 48, 60, 61, 65, 63, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94 (Total Gata -26)
6	Rampur	South	114, 115, 116, 118, 119, 124, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 151 (Total Gata -14)

SCHEDULE-2

Area being included in Nagar Panchayat Gabhana in district Aligarh

Sl. No.	Name of Villages/Revenue Villages	Included Area
1	Gabhana	Total Area
2	Nagla Nattha	Total Area
3	Rampur	Total Area
4	Kanhoi	Total Area
5	Shyampur	Total Area
6	Panihavar	Total Area
7	Somna (including Majra)	Total Area
8	Mauhraina (including Majra)	Total Area

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.